

वन्य जीवों के व्यापार की जाँच हेतु पहल

संदर्भ

गौरतलब है कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 1 अगस्त, 2017 से देश भर में एक माह तक चलने वाले प्रचलन कार्यक्रम (covert operation) की शुरुआत की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवों की अल्प ज्ञात प्रजातियों (lesser-known species) के गैर-कानूनी व्यापार संबंधी जाँच करना है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि इस कार्यक्रम का नाम 'ऑपरेशन लेसनो' (operation lesknow) रखा गया है। इस मशन के अंतर्गत अनेक खोज और प्रवर्तन एजेंसियों (जिनमें केंद्रीय जाँच ब्यूरो भी सम्मिलित है) के माध्यम से गैर-कानूनी व्यापार में संलग्न शिकारियों पर लगाम लगाई जाएगी।
- अंतरराष्ट्रीय शिकारियों का पता लगाने के लिये वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, जैसे - इंटरपोल, फ्रेडरल ब्यूरो और इंवेस्टीगेशन का भी सहयोग प्राप्त होगा।
- इस कार्यक्रम में स्पिनर डॉल्फिन (spinner dolphin), हम्प बेकड (hump-backed) अथवा प्लम्बेस डॉल्फिन (plumbeous dolphin), तबिबती ध्रुवीय बलिली (tibetan pole cat), हॉग डियर (hog deer) सहित 70 अन्य अल्प ज्ञात प्रजातियों के गैर-कानूनी व्यापार की जाँच की जाएगी।
- हालाँकि इस कार्यक्रम के तहत बड़ी बलिलियों, पक्षियों, हाथी, गैंडे और समुद्री प्रजातियों (जैसे कछुओं) को शामिल नहीं किया जाएगा।
- ब्यूरो के अनुसार, इस 'ऑपरेशन लेसनो' नामक कार्यक्रम का संचालन 1 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम 'न्याय वशिष्ट' होगा। जिसमें राज्य और उनसे संबंधित एजेंसियों एक-दूसरे के साथ सहयोग व समन्वय स्थापित करेंगी ताकि अंतरराज्यीय नेटवर्कों का आकलन किया जा सके।
- सरकार और अंतरराष्ट्रीय निकायों (जैसे-इंटरपोल) के सभी स्तरों पर वन्य जीव अपराधों की समस्या का समाधान करने के लिये किये गए कड़े प्रयासों के बावजूद भी यह वशिव में सबसे अधिक आकर्षक गतिविधि बनी हुई है।
- संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के अनुसार, इस गैर-कानूनी व्यापार से प्राप्त होने वाली वार्षिक राशि तकरीबन 20 बिलियन डॉलर की है, जिसके फलस्वरूप हथियारों, दवाओं और मानव तस्करी के पश्चात् इस व्यापार का गैर-कानूनी व्यापार में प्रमुख स्थान है।
- इस कार्यक्रम के तहत बाघ, हाथी, गैंडे, और तेंदुएँ जैसी प्रजातियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा जबकि पेंगोलिन (pangolin), ऊदबलिव (otter), गरिगटि, छपिकली, नगिरी ताहर (nigri tahr), लाल पांडा, सलेंडर आयोरसि (slender ioris), नेवले (mongoose) और सविट्स (civets) जैसी प्रजातियों का इसमें कोई जिकिर नहीं किया गया है।
- ध्यातव्य है कि अल्प ज्ञात प्रजातियों के शिकार को रोकने के लिये वन्य जीव अपराध क्षेत्र में प्रवर्तन एजेंसियों को इस प्रचलन कार्यक्रम के संचालन में योगदान करना होगा। जिसके लिये सभी राज्यों से एकत्रित सूचनाओं को प्रत्येक सोमवार को ब्यूरो के साथ साझा किया जाएगा।